


आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या-..... 11.....सन् 2017-18

केश का प्रकार बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-8 के अंतर्गत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद

अर्जीकार- सूर्य नारायण यादव प्रतिपक्षी:- बिहार सरकार/श्रवण कुमार यादव

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर आवेदक का नाम/पता:- सूर्य नारायण यादव पिता प्रयाग लाल यादव ग्राम-औराहा, थाना एवं अंचल-लौकही। प्रतिपक्षी का नाम/पता:- 1-बिहार सरकार.....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 2- श्रवण कुमार यादव पिता स्व० तेज नारायण यादव ग्राम-औराहा, थाना एवं अंचल-लौकही,.....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।	आदेश पर की गई कार्रवाई
21.8.18	<p>प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय विविध वाद संख्या-6/2016-17 श्रवण कुमार यादव-बनाम-बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.06.2017 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर इस न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन अनुतोष प्राप्त करने हेतु दायर करते हुये निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त कर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया। वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद वाद को आदेशार्थ रखा गया। पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- जमाबंदी नं. 224 से दाखिल खारिज वाद संख्या-8/77-78 द्वारा अंचल अधिकारी, लौकही द्वारा भिन्न भिन्न जमाबंदी परिवार के फरीकैन के नाम से कायम किया गया एवं उसी के अनुरूप सभी जमाबंदीदार अपने अपने जमाबंदी का लगान करते आ रहे हैं। 2- आवेदक के पिता तेजनारायण यादव वो भाई जय प्रकाश यादव द्वारा जमाबंदी संख्या-224 से कायम भिन्न-भिन्न जमाबंदी को निरस्त करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण वाद 22/2005 दायर किया गया जो खारिज कर दिया गया। 3- जिल्ला-समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में अपील वाद संख्या-92/2005-2006 दायर किया गया जिसे समाहर्ता महोदय ने खारिज कर दिया। 4- आयुक्त महोदय, दरभंगा के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या-6/2009-10 दायर किया गया जिसे आयुक्त महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार जिला समाहर्ता महोदय का आदेश सम्पूट हो चुका है। 5- उपरोक्त आदेशों के बावजूद श्रवण कुमार यादव द्वारा अंचल अधिकारी लौकही को पुनः उसी जमाबंदी को निरस्त करने हेतु आवेदन दिया गया जिसे अंचल अधिकारी ने अपर समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में भेज दिया गया जो वाद संख्या-34/13-14 श्रवण कुमार यादव-बनाम-संजय कुमार वोगैरह प्रारम्भ हुआ जिसे अपर समाहर्ता महोदय ने सभी तथ्यों के आलोक में समाहर्ता मधुबनी एवं आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के आलोक में डॉप कर दिया गया। 6- श्रवण कुमार यादव ने उपरोक्त तथ्य को छिपाकर भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में विविध वाद संख्या-6/16-17 दायर कर दिया एवं न्यायालय को धोखा देकर बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित करवा लिया। 7- जब वरीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तो भूमि सुधार उप समाहर्ता को जमाबंदी रद्दीकरण का कोई अधिकार नहीं बनता है। आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वरीय न्यायालयों से पारित आदेश 	<p>CHMS 26h 24/8/18</p>



(Handwritten signature)

7

की छाया प्रति संलग्न किया है।

आवेदक ने निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद करके दायर वाद संख्या-6/2016-17 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया।

प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-

1- आवेदक को बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-12 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण रिभिजन वाद दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2- योगी मरड़ को पाँच पुत्रों में रिभिजनकर्ता आवेदक खुबलाल मड़र के बंशज हैं जबकि विपक्षी श्रवण कुमार सुन्दर मड़र के बंशज हैं। योगी मड़र के पाँचों पुत्रों के बीच बटवारा के बाद जमीन से एक दूसरे फरीक को कोई सरोकार नहीं है। सुन्दर मड़र ने निबंधित केवालाओं के माध्यम से जमीन कय किया। योगी मड़र के वारिशानों का जमाबंदी अलग अलग कायम हुआ। जमाबंदी नं. 224 जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार के सिरिस्ता में विपक्षी के पिता तेजनारायण यादव के नाम कायम हुआ जो अद्यतन कायम चला आ रहा है जिसका लगान अदा करते आ रहे हैं।

3- विपक्षी के पिता के नाम से जो जमीन कय हुआ वह रिभिजनल सर्वे अमला की गलती वो भूल से प्रयाग यादव पेसर स्व0शीतल यादव वो संजय कुमार यादव पे0 स्व0 जनक यादव वो अन्य के नाम सर्वे खतियान दर्ज हो गया तो विपक्षी के पिता ने दफा 106 बी0टी0एक्ट के अंतर्गत सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें तेज नारायण यादव के पक्ष में आदेश पारित हुआ। उक्त आदेश फाईनल हो चुका है जिसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया है।

4- आवेदक को विपक्षी के दादा द्वारा खरीदी गई जमीन एवं कायम जमाबंदी 224 से कोई सरोकार नहीं है। जमाबंदी संख्या-224 से खारिज की गयी जमाबंदी नं. 208 वो 531 वो 530 वो 529 वो 384 का कायम होना विधि-विरुद्ध है।

5- जमाबंदी नं. 224 में निहित खेसरा नं. 962 रकवा 4 कट्टा 9 धुर में से रकवा एक कट्टा जमीन आवेदक के पिता ने निबंधित केवाला के माध्यम से तेजनारायण यादव से खरीद किया जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि जमाबंदी नं. 224 विपक्षी के दादा के नाम कायम थी।

6- जबतक आवेदक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यह साबित नहीं करा लेते हैं कि जमाबंदी नं. 224 दरअसल इजमाल अवस्था में खरीदी गई तबतक जमाबंदी नं. 224 की एसजी का आवेदक दिग्ग फरीक के नाम कायम जमाबंदी विधि-सम्मत कदापी नहीं हो सकता है।

7- भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित आदेश विधि-सम्मत है। अतः आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाय। प्रतिपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति संलग्न किया है।


विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-

भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा विविध वाद संख्या-6/16-17 में दिनांक-06.06.2017 को पारित आदेश सही है। आवेदक का आवेदन बिल्कुल खारिज योग्य है।

आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत मैंने माया कि:-

1- अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा जमाबंदी सुधार वाद संख्या-22/05 जय प्रकाश यादव-बनाम-संजय कुमार यादव में पारित आदेशानुसार प्रतिपक्षी के दावा को सही पाते हुये आवेदक के जमाबंदी सुधार आवेदन को खारिज कर दिया गया।

2- अंचल अधिकारी, लौकही से अग्रसारित अभिलेख के आधार पर अपर समाहर्ता, मधुबनी के न्यायालय में संचालित वाद 34/13-14 श्रवण कुमार यादव-बनाम- संजय कुमार वगैरह में तत्कालीन अपर समाहर्ता द्वारा पारित आदेश में लिखा गया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास, समाहर्ता, मधुबनी एवं माननीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में चला तथा सगी में आदेश पारित हुआ। पुनः उसी भूमि से



संबंधित आवेदक के आवेदन पर जमाबंदी रद्दीकरण वाद इस न्यायालय में अंचल स्तरसे अग्रसारित हुआ है। प्रश्नगत भूमि विवाद एक ही पूर्वज के वारिशानों के बीच का है तथा स्वत्व से संबंधित हैं दोनों पक्ष इसके निदान हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय का शरण ले सकते हैं। इसी ऑबजर्वेशन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

3- न्यायालय, समाहर्ता, मधुबनी जमाबंदी सुधार पुनरीक्षण वाद संख्या-92/05-06 तेजनारयण यादव-बनाम-संजय कुमार यादव वगैरह में दिनांक-05.01.2010 को पारित आदेश की अंतिम कंडिका में उल्लेखित है कि संयुक्त परिवार के बंटवारे के उपरान्त 1977-78 में दाखिल खारिज हो चुका है एवं लंबी अवधि के उपरान्त जमाबंदी सुधार के नाम पर मामला विचारणीय नहीं है। अतः पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

4- न्यायालय, आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय वाद संख्या-आर006/2009-10 तेज नारायण यादव एवं अन्य बनाम संजय कुमार यादव एवं अन्य में आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा दिनांक-21.11.2012 को पारित आदेशानुसार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आने के कारण वाद को खारिज कर दिया गया।

इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, मधुबनी, समाहर्ता, मधुबनी, आयुक्त महोदय, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के न्यायालय में प्रश्नगत रैयती भूमि से संबंधित मामला संचालित हुआ जिसमें पारित आदेशों के अनुसार प्रश्नगत भूमि विवाद एक ही पूर्वज के वारिशानों के बीच स्वत्व से संबंधित पाया गया। ऐसे रैयती भूमि मामलों के वास्तविक निराकरण हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय सक्षम है। किन्तु भूमि सुधार उप समाहर्ता, फूलपरास ने वरीय पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेश के बावजूद आवेदन पर विविध वाद अपने न्यायालय में पुनः संचालित कर आदेश पारित कर दिया, जो हस्तक्षेप के लायक है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा विविध वाद संख्या- 06/2016-17 में पारित आदेश दिनांक-06.06.2017 में हस्तक्षेप करते हुये निरस्त किया जाता है।

सारे तथ्यों के विवेचन से मैंने पाया कि प्रश्नगत रैयती भूमि विवाद एक ही पूर्वज के वारिशानों के बीच का है तथा स्वत्व से संबंधित है ऐसे रैयती भूमि मामलों के वास्तविक निराकरण हेतु माननीय व्यवहार न्यायालय सक्षम है। प्रभावी पक्ष माननीय व्यवहार न्यायालय से स्थायी निदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी ऑबजर्वेशन के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, फूलपरास, अंचल अधिकारी, लौकही को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश से दोनों पक्षों को अवगत करा दें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

21-8-18



अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्र 26/11/18 मधुबनी 21/8/18
कोर्ट में भूमि विवाद का
निराकरण हेतु न्यायालय का
शरण ले सकते हैं।
21/8/18
21/8/18